

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 जनवरी 2013—पौष 17, शक 1934

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. एफ-4(ई)-10-1995-ए-सोलह.—संविदा श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) नियम, 1973 के नियम 3 के साथ पठित श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) अधिनियम, 1970 (क्र. 7 सन् 1970) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य सलाहकार संविदा श्रमिक परिषद् का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :—

अनुक्रमांक (1)	नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	------------	--------------

1	श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल	सदस्य
3	श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर	सदस्य

नियोजक के प्रतिनिधि

1	श्री राजीव श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव (कार्मिक)-एक, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल ब्लॉक नम्बर 14, तृतीय तल, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर.	सदस्य
2	श्री राजेश मित्तल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एण्ड हेड इंजिन प्रोजेक्ट, व्ही. ई. कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, 102, इण्डस्ट्रियल एरिया, नं. 1, पीथमपुर, जिला धार.	सदस्य
3	श्री बलदेव भाई पिता श्री केशवलाल पटेल, महाप्रबंधक, सेन्ट्रल इण्डिया टोबैको, प्रायवेट लिमिटेड, एम. एच. हाऊस, 903, गोल बाजार, जबलपुर.	सदस्य
4	श्री शेषनारायण मेठी, ठेकेदार एक्मे आई. एन. सी. 1063, छोटा बाजार, महु, जिला इन्दौर	सदस्य
5	श्री महेश दुबे, ठेकेदार विष्णु एजेंसी, 226, जोन-दो एम. पी. नगर, भोपाल	सदस्य

(1)	(2)	(3)
श्रमिकों के प्रतिनिधि		
1	श्री सुल्तानसिंह शेखावत, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश 44/25 दक्षिण तात्या टोपे नगर, भोपाल.	सदस्य
2	श्री आर. डी. त्रिपाठी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश इंटक राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, एम 57/3 ए-सेक्टर साकेत नगर, हबीबगंज, भोपाल.	सदस्य
3	श्री रामविलास गोस्वामी, अध्यक्ष, सीटू, मध्यप्रदेश राज्य समिति, सीटू कार्यालय, डिलाइट टाकीज के पीछे, लशकर, ग्वालियर.	सदस्य
4	श्री कृष्णा मोदी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश एटक, पाथाखेडा, जिला बैतूल	सदस्य
5	श्री विष्णुकांत ठाकुर, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, निवासी एफ-3, रदा टावर, मेनरोड रांझी, जबलपुर.	सदस्य

उक्त समिति का कार्यकाल संविदा श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) मध्यप्रदेश नियम, 1973 के नियम 4(3) के अनुसार दो वर्ष का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. एफ-4(ई)-10-1995-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 7th January 2013

No. 4(E) 10-1995-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 7 of 1970) read with Rule 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Madhya Pradesh Rules, 1973, the State Government, hereby, re-organizes the State Contract Labour Advisory Council as under :—

S. No. (1)	Name (2)	Designation (3)
1	Labour Minister, Government of Madhya Pradesh	Chairperson
2	Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Labour, Bhopal	Member
3	Labour Commissioner, Madhya Pradesh, Indore	Member
Representatives of Employer		
1	Shri Rajeev Shrivastava, Additional Secretary (Personnel), 1 M.P.S.E.B. Block No. 14, Third Floor, Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur.	Member
2	Shri Rajesh Mittal, Senior Vice-President and Head, Engine Project, VE Commercial Vehicle Ltd. 102, Industrial Area, No. 1, Peethampur, District Dhar.	Member
3	Shri Baldeobhai S/o Shri Keshavlal Patel, General Manager, Central India Tobacco Pvt. Ltd., M. H. House, 903, Gole Bazaar, Jabalpur.	Member

(1)	(2)	(3)
4	Shri Shesh Narayan Methi, Contractor, Acme I. N. C. 1063, Chhota Baazar, Mhow, Distt. Indore.	Member
5	Shri Mahesh Dube, Contractor, Vishnu Agency, 226, Zone-II, M. P. Nagar, Bhopal.	Member
Representatives of Labourers		
1	Shri Sultansingh Shekhawat, State Maha Mantri, Bharatiya Mazdoor Sangh Madhya Pradesh, 44/25 South Tattya Tope Nagar Bhopal, Madhya Pradesh.	Member
2	Shri R. D. Tripathi, President, Madhya Pradesh INTUC, Rashtriya Majdoor Congress, M-57/3 A-Sector, Saket Nagar Habibganj Bhopal, Madhya Pradesh.	Member
3	Shri Ramvilas Goswami, President, CITU, Madhya Pradesh State Committee, CITU Office, Behind Delight Talkies Lashkar Gwalior, Madhya Pradesh.	Member
4	Shri Krishna Modi, President, Madhya Pradesh, AITUC Pathakheda, District Betul	Member
5	Shri Vishnukant Thakur, President, Bhartiya Majdoor Sangh, Resident of F-3, Rada Tower, Main Road, Ranjhi, Jabalpur.	Member

The tenure of the aforesaid Committee will be two years as per Rules 4(3) of the Contract Labour, (Regulation and Abolition) Madhya Pradesh Rules, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJEEV SHRIVASTAVA, Dy. Secy.